प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 82/2022

अनवान : –

1. चन्दो पत्नी फुलाराम उर्फ मनफुल जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 17 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता स0 5/4 की कुल 1.7710है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स0 265/222 की कुल 2.7770है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 323/265 की कुल 1.7710है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि मे चन्द्रोदेवी पत्नी मनफुल उर्फ फुलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम चन्दो है तथा उक्त नाम विरासतन दर्ज होते समय सहवन से हो गयाा है। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम चन्दो है जो प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम चन्दो दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 1577 दिनांक 09.02.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम चन्द्रो के स्थान पर चन्दो किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थीया को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा चक 17 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता स0 5/4 की कुल 1.7710है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स0 265/222 की कुल 2[illegible] हिस्सा एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 323/265 की कुल [illegible] भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है [illegible] सही नाम चन्दो है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट [illegible] भू0अ0नि0 रामगढ़ [illegible]सीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचना कार्ड, पैनकार्ड व जमाबंदी रोही मौजा 4 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 204/204 में प्रार्थीया का सही नाम चन्दो पत्नी फुलाराम उर्फ मनफुल दर्ज है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीया का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा चक 17 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता स0 5/4 की कुल 1.7710है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स0 265/222 की कुल 2.7770है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 323/265 की कुल 1.7710है0 भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थीया चन्द्रोदेवी पत्नी मनफुल उर्फ फुलाराम के स्थान पर सही नाम चन्दो पत्नी पत्नी मनफुल उर्फ फुलाराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच चन्द्रोदेवी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का चन्द्रोदेवी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम चन्द्रोदेवी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

(सत्यनारायण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:31 IST
Reason: SelfAttested